कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के विरुद्ध सरकार का युद्ध

कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के बीच भारत में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशिल्ड टीके के बाद अब रूस के स्पुतनिक टीके को भी मंजूरी मिल गई है। हाल ही में जाइडस कैडिला नामक फार्मा कंपनी की वैक्सीन को भी केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृती दी गई है। जहां तक टीके की मांग और आपूर्ति का पक्ष है, तो एक सुदृढ़ शासन प्रणाली ही इसमें संतुलन बैठा सकती है और मोदी सरकार ने यह काम बहुत ही व्यवस्थित रूप से किया है। देश में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की बात करें तो १० उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आठ महाराष्ट्र से आते हैं। यहां राज्य सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पांच लाख से ज्यादा कोविड टीके नष्ट हो गए। महाराष्ट्र की औसतन साप्ताहिक पाजिटिविटी रेट जहां २५ फीसद से अधिक रही है, वहीं दिल्ली की पाजिटिविटी दर ३२ फीसद और छत्तीसगढ़ की ३१ फीसद है जो यह दर्शाता है कि इन राज्यों की सरकारों ने संक्रमण को रोकने में लापरवाही बरती है। कुछ लोग आजकल भारत और ब्राजील के बीच तुलना कर रहे हैं। यह तुलना बेबुनियाद है। ब्राजील की कुल आबादी लगभग २१ करोड़ है जो भारत के सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश के बराबर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किमी लोगों का घनत्व ८२८ है, जहां कोरोना से अब तक ११,००० लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि ब्राजील में प्रति वर्ग किमी २५ व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व है, वहां मृतकों की संख्या चार लाख पहुंच चुकी है। जहां तक टीकाकरण का सवाल है तो सवा अरब से भी अधिक आबादी वाले हमारे देश में सार्वभौमिक टीकाकरण न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय। फिर भी कोविड महामारी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि एक मई से १८ साल की उम्र से ऊपर सभी लोगों को टीका लगाने की अनुमति होगी और प्रबंध भी होगा। भारत सरकार ने रिकॉर्ड समय के तहत इस साल जुलाई से पहले ३० करोड़ से अधिक लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है, जो अमेरिका की लगभग पूरी आबादी के बराबर है। जो लोग बेवजह यह आरोप लगा रहे हैं कि भारत को टीकों का निर्यात नहीं करना चाहिए था, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि वैश्विक महामारी के संकट से निजात पाने के लिए, मानवीय आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है और ठीक यही मोदी सरकार 'वैक्सीन मैत्री' के माध्यम से कर रही है। क्या हम भूकंप, चक्रवात या बाढ़ के दौरान पड़ोसी देशों की मदद नहीं करते हैं? तो इस कोरोना महामारी के दौरान यदि मोदी सरकार सहायता प्रदान कर रही है तो फिर इतनी हाय-तौबा क्यों मचाई जा रही है? वैक्सीन रोलआउट से पहले ही भारत के वैक्सीन निर्माताओं और 'गावी गठबंधन' के बीच द्विपक्षीय समझौतों के तहत निर्मित किए गए अधिकांश वैक्सीन निर्यात किए गए हैं। मालूम हो कि गावी गठबंधन एक सार्वजनिक निजी भागीदारी में संचालित संगठन है, जो दुनिया के लगभग ५० फीसद बच्चों को तमाम तरह के टीके उपलब्ध करा रही है। भारत में कोविड की इस दूसरी लहर के बीच ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसे माहौल में विधानसभा चुनावों और राजनीतिक रैलियों पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? तथ्य यह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति हो तो राज्य विधानसभाओं के चुनाव केवल छह महीने के लिए ही स्थगित किए जा सकते हैं। रैलियों में, लोगों की भीड़ को रोकने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से वर्चुअल रैलियां करने का सुझाव आया था, लेकिन विपक्ष द्वारा इस सुझाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वर्चुअल रैलियों से चुनाव में भाजपा को ही फायदा होगा। आज वही विपक्ष मोदी सरकार पर ताने क्यों कस रहा है? जब हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल में मछुआरों के साथ समुद्र में गोते लगा रहे थे और केरल में राजनीतिक रैलियां कर रहे थे, क्या तब महामारी

नहीं थी? इतना ही नहीं, जो लोग बार बार यह पूछते हैं कि पीएम केयर्स फंड का उपयोग किस तरह किया गया है तो उन्हें यह जानना चाहिए कि इस फंड के द्वारा विभिन्न राज्यों को लगभग ५० हजार वेंटीलेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा, सच बात यह भी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२४ के तहत एक स्वायत्त संस्था होने के नाते, चुनाव कराने और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव संबंधी आदर्श संहिता तय करना चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है। चुनाव आयोग का भाजपा या अन्य किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं होता है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को लेकर भाजपा से सवाल करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। चुनाव आयोजन का फैसला चुनाव आयोग का था, भाजपा का नहीं। कोरोना महामारी के दौर में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना उचित होगा। भारत का मेगा टीकाकरण अभियान 'उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य' के इर्द-गिर्द केंद्रित है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के प्रयास हेतु, पीएम केयर्स फंड से पहले तो २०२ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, ताकि ऑक्सीजन जेनरेट करने वाले प्लांट्स को स्थापित किया जा सके। स्वीकृति के बावजूद कई राज्य सरकारों ने अब तक एक भी ऑक्सीजन यूनिट की स्थापना नहीं की। हाल ही में मोदी सरकार ने ५५१ और नए ऑक्सीजन यूनिट्स की स्थापना के लिए पीएम केयर्स फंड से आवंटन का ऐलान किया। देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और जरूरतमंदों तक उसकी समुचित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्यरत है।

देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या बने नक्सलियों पर चौतरफा प्रहार करने का समय

इसी माह के आरंभ में नक्सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ में हमारे २२ जवान शहीद हो गए। इस दुखद घटना से मेरे जेहन में अपने दंतेवाड़ा और सुकमा में बिताए गए चार वर्षों (वर्ष २०१५ से २०१९ तक) की स्मृतियां उभरने लगीं। वहां घटित हर नक्सली घटना के बाद विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों में यही चर्चा होती है कि नक्सलवाद ग्रामीणों के समर्थन पर टिका है और इसी के बूते फल-फूल रहा है। मुझे तब ऐसा महसूस होता है कि सबसे बड़ा दुष्प्रचार ग्रामीणों के लिए यही होगा कि उन्हें नक्सलियों से जोड़ा जाए और उन्हें नक्सलियों का हितैषी माना जाए। अपने कार्यकाल के चार साल नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा एवं सुकमा में बिताने के क्रम में वहां ग्रामीणों को जोड़ने वाला एक विशेष अभियान 'लेदर्मुला बस्तर' चलाया। इसके तहत नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सुकमा के अति नक्सल प्रभावित एक गांव में जाकर एक बार ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन से निरंतर संवाद

स्थापित कर वहां की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया। कोई भी ग्रामीण नक्सलियों का साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि वे चाहते ही नहीं कि उनके क्षेत्र में नक्सलवाद रहे। ग्रामीणों को यह बताना शुरू किया कि तीन तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। पहली शिक्षा, जिसमें हम बताते थे कि शिक्षा के माध्यम से नक्सलवाद खत्म किया जा सकता है। परंतु यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें आने वाली पीढ़ी नक्सलवाद के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। दूसरी एकता, इसके माध्यम से प्रत्येक गांव नक्सलियों के खिलाफ खड़ा होकर उनसे प्रश्न करेगा कि नक्सलियों ने उन्हें क्या दिया है? और इस प्रकार नक्सलियों का विरोध सभी गांव वाले शुरू करेंगे और इस एकजुटता के माध्यम से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। तीसरा तरीका इन सबसे थोड़ा अलग है। इसमें हम कोई खास दिन निर्धारित करें और इस दिन सभी गांव वाले एक साथ अपने अपने घरों व गांव से निकलें और बड़ी संख्या में उस क्षेत्र की ओर जाएं जहां नक्सली रहते हैं। सभी लोग गांव, जंगल, नदी, पहाड़ पार करते उनको खोजते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे हाथ में जो भी औजार हथियार आए उसे लेकर चलेंगे और जो भी नक्सली मिले उसे बोलें कि या तो आत्मसमर्पण करो, अन्यथा यह मारा जाएगा। इस प्रकार हम सभी नक्सलियों को खत्म कर देंगे। जब गांववालों से यह पूछा गया कि इन तीनों ही तरीकों में से कौन सा तरीका आप नक्सलवाद के खात्मे के लिए चुनेंगे? तो वे तीसरे तरीके की ओर इशारा करते। इससे यह स्पष्ट है कि वे कितने आतुर हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो जाए। अब मैं फिर से उसी पुराने प्रश्न पर आता हूं क्या ग्रामीण नक्सलियों का समर्थन करते हैं? संबंधित अभियान के दौरान जब विभिन्न गांव में बैठकें लेता तो उस संवाद में हमारा उनसे एक प्रश्न होता था कि इस गांव के कितने ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों द्वारा अभी तक की गई है? आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने ऐसा कोई भी गांव नहीं पाया, जहां नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या नहीं की गई हो। बैठकों के दौरान हमने पाया कि औसतन चार से पांच ग्रामीणों की हत्या सभी गांव में नक्सलियों द्वारा की गई थी। आप इन गांवों में हुए नक्सली बर्बरता और हत्या की जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि हमारे ही समाज में रहने वाले बहुत से गुंडे-बदमाशों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की हिम्मत कितने लोगों में होती है? जिन्होंने भी हिम्मत की, ऐसे गुंडे-बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी या करवा दी तो नक्सली भी इन गुंडे बदमाशों से कहां अलग हैं? कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो पूरे गांव वालों को बुलाकर जनअदालत लगाकर निर्ममतापूर्वक सबके सामने में उसकी हत्या कर दी जाती है। उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि वह पुलिस का मुखबिर है। ऐसे झूठे आरोप लगाकर हत्या करना उनकी एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वे आतंक का माहौल बनाकर लोगों को अपने विरुद्ध न खड़े हो इसके लिए हत्या का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा, जब स्थानीय आदिवासी नक्सलवाद से त्रस्त होकर तीसरा तरीका अपनाते हुए अपने घरों से गांव से निकलेंगे और उस दिन पूरे आदिवासी नक्सलवाद का खात्मा सुनिश्चित करेंगे। और यह दिन कोई सरकार द्वारा प्रायोजित या राजनीतिक आंदोलन (सलवा जुडूम जैसा) से प्रभावित न होकर उनका स्वतः स्फूर्त आंदोलन होगा, जिसमें नक्सलवाद का खात्मा निश्चित होगा।